सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इसकी आपूर्ति बनी रहे । तिलहनों के घरेलू उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रीय मांग और घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इनके मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मुख्यत: उत्पादकों को सहायता देने तथा साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए तिलहनों के सीमित निर्यात की अनुमति दी गई है ।

Fiscal deficits in Super Bazar

7583. SHRI ANANTRAY DEV-SHANKER DAVE:

SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what is the latest estimate regarding the revenue, fiscal monetary and budgetary deficits during the current year of Super Bazar and what is the basis for these estimates;

(b) whether Government are committed to contain these deficits as per tha targets fixed at the time of budget estimates for the year 1994-95;

(c) if so, what is the extent of success likely to be attained in view of the position of income expenditure during this year so far;

(d) what concrete measures/steps have So far been taken by Government in this direction to ensure that these deficits are hot allowed to exceed the desired level; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Super Bazar has reported that as per estimate, it is not likely to have revenue/ budget deficits for the current year as all expenditure is proposed to be met out of its profits/earnings.

(b) to (e) In view of the reply to part (a) above, questions do not arise.

मध्य प्रदेश का रियायती दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए अनुरोध

7584. श्री मूलचन्द मीणा :
श्री अजीत जोगी :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गरीब लोगों के लिए रियायती दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह)

(क) इस समय, मध्य प्रदेश के कुल 459 खण्ड में से 223 खण्ड सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं । मध्य प्रदेश में समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के लिए पहचाने गए खण्डों, जहां राज्य की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी पर्याप्त संख्या में रहती है, सपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं । संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण हेतु अभिप्रत खाद्यान्न केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेषरूप से राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किए जाते हैं, जो सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्य की तुलना में 50/– रु. प्रति क्विंटल कम है । गरीबों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने हेतु